भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3746

दिनांक 25.03.2022 को उत्तर देने के लिए

विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए आपात निधि

3746. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आजीविका के लिए विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों को आपात स्थिति में धन की कमी के कारण कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार ने आपात स्थिति में विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की मदद करने और इस उद्देश्य के लिए एक कोष स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) से (ग) आपातकालीन स्थिति में विदेशों में भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान के लिए, सरकार द्वारा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों एवं केंद्रों में भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना की गई थी। भारतीय मिशन एवं केंद्र संकट की स्थिति में प्रवासी भारतीय नागरिकों को जरूरत के आधार पर सहायता प्रदान करने के लिए आईसीडब्ल्यूएफ का उपयोग (बोर्डिंग और लॉजिंग, हवाई यात्रा, कानूनी सहायता, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, पार्थिव शरीर का परिवहन) कर रहे हैं। आईसीडब्ल्यूएफ में बड़े पैमाने पर भारतीय डायस्पोरा वाले देशों में कानूनी पैनल स्थापित करने, छोटे अपराधों के लिए कैदियों की रिहाई हेतु जुर्माना/दंड शुल्क का भुगतान करने और विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं को सहायता करने के प्रावधानों सहित सामुदायिक कल्याण क्रियाकलाप और कोंसली सेवाओं में सुधार भी शामिल है।

***